क़तर में नियोक्ताओं को बदलना

कामगारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

अपनी अनुबंध अवधि में अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किए बगैर क़तर में सभी कामगार किसी भी समय नौकरी बदल सकते हैं।

हालांकि सभी कामगारों को हटाने के लिए एनओसी का होना जरूरी है, लेकिन रोजगार अनुबंध की समाप्ति और विभिन्न श्रेणियों के कामगारों के लिए नौकरी बदलने के नियम अलग-अलग हैं।

यदि आप 2004 के श्रम कानून संख्या 14 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में कार्य करते/करती हैं।

नौकरी बदलने के लिए मुझे कौन सी प्रक्रिया का पालन करना होगा?

1. आपको श्रम मंत्रालय (MoL) की इलेक्ट्रॉनिक अधिसूचना प्रणाली के माध्यम से नौकरी बदलने का आवेदन करना होगा। मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर `चेंज एंप्लॉयर` फॉर्म की कॉपी का प्रिंट लें। फार्म में अपनी और अपने नए नियोक्ता से संबंधित समस्त अपेक्षित जानकारी भरकर हस्ताक्षर करें। साथ ही नए नियोक्ता को उसकी कंपनी की आधिकारिक मुहर लगाने और फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के लिए कहें।
2. पूरी तरह से भरे गए और हस्ताक्षर किए हुए फॉर्म की फोटो खींचें अथवा उसे स्कैन करके अपने कतरी आईडी (QID) नंबर और अपने मोबाइल फोन नंबर का इस्तेमाल करके MoL की इलेक्ट्रॉनिक अधिसूचना प्रणाली पर लॉग-इन करें। ध्यान रहे कि लॉग इन करने के लिए आप जिस मोबाइल फोन नंबर का उपयोग करें, वह आपके QID से लिंक हो। सिस्टम में प्रवेश करने पर, भरा हुआ और हस्ताक्षर किया हुआ `चेंज एंप्लॉयर` फॉर्म अपलोड करें।
3. आपके आवेदन प्रस्तुत करने पर, सिस्टम EC (एंप्लॉयर चेंज) नंबर जनरेट करेगा जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। EC नंबर बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे कहीं लिख लें या अपने फोन पर इसकी फोटो खींचकर रख लें।
4. नौकरी बदलने का आपका आवेदन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, आपको मंत्रालय से एसएमएस प्राप्त होगा जिसमें आपके नौकरी बदलने की पुष्टि करते हुए आपको आपकी नोटिस अवधि के बारे में सूचित किया जाएगा। आपके वर्तमान नियोक्ता और आपके नए नियोक्ता, दोनों को भी एसएमएस मिलेगा।
    - अपने वर्तमान नियोक्ता के साथ यदि आपने दो वर्ष या उससे कम समय तक काम किया होगा, तो आपकी नोटिस अवधि **1 माह होगी।**
    - अपने वर्तमान नियोक्ता के साथ यदि आपने दो वर्ष से अधिक समय तक काम किया होगा, तो आपकी नोटिस अवधि **2 माह होगी।**

    मंत्रालय के एसएमएस में आपके नोटिस की अवधि के समापन का उल्लेख होगा। नोटिस अवधि में आपको अपने वर्तमान नियोक्ता के लिए काम करते रहना होगा।
5. आपके नए नियोक्ता को आपकी नोटिस अवधि के समापन से तीन माह के भीतर, बहुभाषी रोजगार अनुबंध के लिए MoL की डिजिटल प्रमाणीकरण प्रणाली के माध्यम से आपके रोजगार अनुबंध का विवरण प्रस्तुत करना होगा। यहां आपका नया रोजगार अनुबंध बनेगा, जिस पर आपको और आपके नए नियोक्ता, दोनों को हस्ताक्षर करने होंगे। आप दोनों के हस्ताक्षर करने पर, प्रमाणीकरण के लिए नया नियोक्ता MoL के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसे अपलोड करेगा। आपके नए नियोक्ता को MoL द्वारा प्रमाणित अनुबंध की प्रति आपको अवश्य देनी होगी। इसे आप MoL की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते/सकती हैं।
6. अंत में, आपके लिए नए QID का अनुरोध करने हेतु आपका नया नियोक्ता आंतरिक मंत्रालय के Metrash सर्विसेज के वेबपेज पर लॉग-इन करेगा। आपके नए नियोक्ता द्वारा आपको नया QID उपलब्ध करवाना होगा।

अपनी परिवीक्षा (प्रोबेशन) अवधि में नौकरी बदलने के लिए क्या मुझे उसी प्रक्रिया का पालन करना होगा?

यह आपके रोजगार अनुबंध में निर्धारित होगा कि नियोक्ता से सहमति के साथ आप परिवीक्षा (प्रोबेशन) अवधि के अधीन होंगे। हालाँकि यह परिवीक्षा अवधि आपके काम शुरू होने की तारीख से छह माह से अधिक नहीं होगी, और आप उसी नियोक्ता के साथ एक से अधिक परिवीक्षा अवधि में नहीं रह सकते।

निम्नलिखित का पालन करने पर, परिवीक्षा अवधि में आप रोजगार अनुबंध समाप्त कर सकते हैं:

- नौकरी छोड़ने की योजना से कम से कम एक माह पूर्व उपरिलिखित अनुसार MoL की इलेक्ट्रॉनिक अधिसूचना प्रणाली के माध्यम से नौकरी बदलने के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करें।
- आपके नए नियोक्ता को आपके वर्तमान नियोक्ता को उस स्तर पर भर्ती शुल्क और एक़तरफा हवाई टिकट की भरपाई करनी होगी, जिस पर वर्तमान और नए नियोक्ताओं ने सहमति व्यक्त की थी, हालांकि यह आपके वर्तमान मूल वेतन के दो माह से अधिक नहीं होगा।
- मंत्रालय से नौकरियां बदलने की मंजूरी मिलने पर, आपको MoL से एसएमएस मिलेगा जिससे आपकी नौकरी बदलने की पुष्टि होगी और आपको अपनी नोटिस अवधि के बारे में सूचित किया जाएगा। आपकी नोटिस अवधि की समापन तिथि एसएमएस में दर्शाई जाएगी। जब तक कि अपने वर्तमान नियोक्ता के साथ अन्यथा सहमति न हो, वर्तमान नियोक्ता के साथ आपको अंतिम तिथि तक काम करते रहना होगा।

MoL की इलेक्ट्रॉनिक अधिसूचना प्रणाली में प्रस्तुत आवेदन की स्थिति मैं कैसे जांच सकता/सकती हूं?

नौकरी बदलने के लिए MoL की इलेक्ट्रॉनिक अधिसूचना प्रणाली के उपयोग से अपना आवेदन प्रस्तुत करने के बाद, आवेदन की स्थिति आप निम्न लिंक से देख सकते/सकती हैं: http://ecai.adlsa.gov.qa/
लॉग-इन करने के लिए आपको MoL की इलेक्ट्रॉनिक अधिसूचना प्रणाली द्वारा जेनरेट किया गया QID नंबर और EC नंबर इस्तेमाल करना होगा, जो आपको आवेदन करते समय मिला था।

यदि मैं अपने वर्तमान नियोक्ता के साथ नोटिस की अवधि पूरी नहीं करता/करती तो क्या होगा?

यदि आप नोटिस अवधि के समापन से पहले काम बंद करने का निर्णय लेते/लेती हैं तो आपको नोटिस अवधि के हर दिन के लिए अपने वर्तमान नियोक्ता को भुगतान करना होगा।

नोटिस अवधि के शेष भाग की गणना आपके मूल वेतन के बराबर राशि के रूप में आनुपातिक आधार पर की जाती है। उदाहरण के लिए: अपनी नोटिस अवधि के समापन से दो सप्ताह पहले यदि आप काम बंद करना चाहें और आपका मूल वेतन QAR 1,500 प्रति माह है, तो आपको अनुबंध को कानूनी रूप से समाप्त करने के लिए अपने नियोक्ता को QAR 750 का भुगतान करना होगा।

अपनी नोटिस अवधि पूरी न करने के संबंध में क्या मैं और मेरा वर्तमान नियोक्ता सहमत हो सकते हैं?

हां, आप और आपका वर्तमान नियोक्ता नोटिस अवधि पूरी न करने पर सहमत हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में, नौकरी बदलने के अपने आवेदन के साथ आप अपना और अपने वर्तमान नियोक्ता द्वारा हस्ताक्षर किया गया पत्र संलग्न कर सकते/सकती हैं। हस्ताक्षर किए गए पत्र में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि आप और आपके वर्तमान नियोक्ता ने संबंधित कानूनों में निर्धारित नोटिस अवधि का पालन न करने के लिए पारस्परिक तौर पर सहमति व्यक्त की है। नोटिस अवधि निर्धारित करते समय MoL द्वारा आपसी समझौते को ध्यान में रखा जाएगा।

नियोक्ता बदलने के लिए क्या मुझे नए नियोक्ता को किसी प्रशासनिक लागत का भुगतान या प्रतिपूर्ति करनी होगी?

नहीं, कामगारों के लिए नियोक्ता बदलने की प्रक्रिया नि:शुल्क है। इसके अतिरिक्त, अपने नए नियोक्ता को नया QID जारी करने के लिए आपको किसी राशि का भुगतान या प्रतिपूर्ति करने की आवश्यकता नहीं।

नौकरी बदलने का आवेदन प्रस्तुत करने के बाद क्या वर्तमान नियोक्ता मेरा QID रद्द कर सकता है?

MoL की इलेक्ट्रॉनिक अधिसूचना प्रणाली के माध्यम से नौकरी बदलने का अपना आवेदन प्रस्तुत करने पर, आपका वर्तमान नियोक्ता आपका QID रद्द अथवा फरार होने संबंधी झूठा मामला दर्ज नहीं कर सकता।

नौकरी बदलने का अपना आवेदन प्रस्तुत करने से पहले यदि मेरा वर्तमान नियोक्ता मेरा QID रद्द कर दे तो मैं क्या कर सकता/सकती हूँ?

वर्तमान नियोक्ता आपके आवेदन प्रस्तुत करने से पहले यदि आपका QID रद्द कर दे, तो आपको पहले MoL के यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर कंप्लेंट्स एंड व्हिसलब्लोअर पर या MoL में जाकर शिकायत दर्ज करवानी होगी। मंत्रालय द्वारा आपकी शिकायत की समीक्षा करने पर, आपको हस्ताक्षर कर अरबी भाषा में पत्र देना होगा जिसमें श्रम संबंध विभाग के प्रमुख को संबोधित करते हुए आपका QID पुनः सक्रिय करने का अनुरोध किया गया हो। पत्र में, आपको संक्षिप्त स्पष्टीकरण देना होगा कि अपना QID फिर से सक्रिय करने का अनुरोध आप क्यों कर रहे/रही हैं। पत्र में आपका QID और मोबाइल फोन नंबर लिखें। हस्ताक्षर किए गए पत्र के साथ-साथ, आपको अपने QID की प्रति, आपका QID रद्द करने की सूचना देने वाले एसएमएस की प्रति; और नई नौकरी की पेशकश की प्रति भी प्रस्तुत करनी चाहिए। इन दस्तावेजों की प्रतियां रिकार्ड के लिए अपने पास भी रखें।

आपका QID फिर से सक्रिय करने के संबंध में MoL, आंतरिक मंत्रालय से समन्वय करेगा। Metrash के माध्यम से आप अपने QID की स्थिति देख सकते/सकती हैं।

आपका QID फिर से सक्रिय हो जाने पर आप MoL की इलेक्ट्रॉनिक अधिसूचना प्रणाली के उपयोग से नौकरी बदलने का आवेदन कर सकते/सकती हैं।

नौकरी बदलने का अपना आवेदन क्या मैं रद्द कर सकता/सकती हूं?

MoL की इलेक्ट्रॉनिक अधिसूचना प्रणाली के माध्यम से यदि आपने नौकरी बदलने का आवेदन प्रस्तुत किया है और आपका आवेदन अभी समीक्षाधीन है, तो आप उसी प्रणाली से उसे रद्द कर सकते/सकती हैं। MoL की इलेक्ट्रॉनिक अधिसूचना प्रणाली पर अपने QID नंबर और अपने मोबाइल नंबर के उपयोग से लॉग-इन करें।

मंत्रालय से अनुमोदन मिलने के बाद और आपका नया रोजगार अनुबंध प्रमाणित होने से पहले यदि आप नौकरी बदलने का अपना आवेदन रद्द करना चाहते/चाहती हैं, तो आपको MoL को लिखित अनुरोध प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए आपको अरबी भाषा में श्रम संबंध विभाग के प्रमुख को संबोधित अपना आवेदन रद्द करने के अनुरोध का हस्ताक्षर किया हुआ पत्र प्रस्तुत करना होगा। पत्र में, अपने EC नंबर, अपने QID की प्रति और मोबाइल फोन नंबर सहित आपको संक्षित सप्ष्टीकरण देना होगा कि आप अपना आवेदन रद्द करने का अनुरोध क्यों कर रहे/रही हैं।

नियोक्ता बदलने पर क्या मुझे सेवा समाप्ति के फायदे मिल सकते हैं?

रोजगार का कम से कम एक वर्ष पूरा करने पर यदि आपको नियोक्ता बदलना हो, तो अपने रोजगार अनुबंध में बताए अनुसार सेवा की समाप्ति पर आपको अपने वर्तमान नियोक्ता से अर्जित वार्षिक अवकाश और अन्य लाभों सहित सेवा लाभ पाने का अधिकार है।

अपने वेतन का भुगतान न होने की स्थिति में भी क्या मुझे नौकरी बदलने से पहले नोटिस देना होगा?

यदि आपके वर्तमान नियोक्ता ने अपने कानूनी दायित्व (मजदूरी के भुगतान सहित) पूरे न किए हों, तो श्रम कानून के संशोधित अनुच्छेद 51 के अनुसार आप बिना नोटिस दिए नौकरी बदल सकते/सकती हैं। MoL के श्रम संबंध विभाग में आपको शिकायत दर्ज करनी चाहिए। यह आप मंत्रालय के यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर कंपलेंट्स एंड व्हिसलब्लोअर्स के माध्यम से कर सकते/सकती हैं।

याद रहे कि अपना देय वेतन, सेवा समाप्ति ग्रेच्युटी (एक वर्ष से अधिक सेवा के बाद) और कोई भी देय वार्षिक अवकाश पाने का आपको पूरा अधिकार है। क़तर छोड़ने का निर्णय लेने पर आपके नियोक्ता को आपके अपने मूल देश लौटने के लिए हवाई टिकट का खर्च वहन करना होगा।

क़तर छोड़ने के बाद नई नौकरी के लिए क्या मैं फिर से लौट सकता/सकती हूँ?

यदि आप सूचना दिए बिना या अपनी नोटिस अवधि पूरी किए बिना क़तर छोड़ते/छोड़ती हैं, तो आप एक वर्ष तक क़तर में काम पर नहीं लौट पाएंगे/पाएंगी। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए, आपको इन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा:

यदि आप परिवीक्षा (प्रोबेशन) अवधि में क़तर छोड़ना चाहें तो:

- आपको अपने नियोक्ता को MoL की इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रणाली के माध्यम से सूचित करना होगा। नोटिस अवधि दो माह से अधिक नहीं होनी चाहिए और आपका नियोक्ता उससे सहमत होना चाहिए।
- यदि आप अपनी नोटिस अवधि पूरी किए बिना क़तर छोड़ना चाहें, तो नोटिस अवधि के शेष भाग के लिए आपको अपने नियोक्ता को अपनी मूल वेतन राशि का भुगतान करना होगा, और यह राशि दो माह के मूल वेतन से अधिक नहीं होगी।

यदि अपनी परिवीक्षा अवधि के बाद आप क़तर छोड़ना चाहें तो:

- नियोक्ता के साथ यदि आपने दो वर्ष या उससे कम समय तक काम किया हो, तो MoL की इलेक्ट्रॉनिक अधिसूचना प्रणाली के माध्यम से रोजगार अनुबंध समाप्ति से एक माह पहले आपको अपने नियोक्ता को सूचित करना होगा।
- नियोक्ता के साथ यदि आपने दो वर्ष से अधिक समय तक काम किया हो, तो MoL की इलेक्ट्रॉनिक अधिसूचना प्रणाली के माध्यम से रोजगार अनुबंध समाप्ति से दो माह पहले आपको अपने नियोक्ता को सूचित करना होगा।
- उपर्युक्त नोटिस अवधि पूरी किए बिना यदि आप क़तर छोड़ना चाहें, तो आपको नियोक्ता को नोटिस अवधि के शेष भाग के लिए अपने मूल वेतन के बराबर मुआवजा देना होगा।

मेरा नियोक्ता क्या मेरा रोजगार अनुबंध समाप्त कर सकता है?

हां, आपका नियोक्ता भी आपका रोजगार अनुबंध समाप्त कर सकता है।

1. परिवीक्षा अवधि में आपके रोजगार अनुबंध में निर्धारित अनुसार, यदि आपका नियोक्ता आपको "अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों को पूरा करने में अयोग्य" पाता है, तो वह अनुबंध समाप्त कर सकता है, लेकिन **MoL** की इलेक्ट्रॉनिक अधिसूचना प्रणाली के माध्यम से समाप्ति से कम से कम एक माह पहले आपको सूचित करना होगा।

   यदि रोजगार अनुबंध की समाप्ति पर आप अपने मूल देश में लौटना चाहते/चाहती हैं तो नियोक्ता को आपकी वापसी के हवाई टिकट का खर्च वहन करना होगा।

2. परिवीक्षा अवधि के बाद, यदि आपका नियोक्ता आपका रोजगार अनुबंध समाप्त करना चाहे, तो MoL की इलेक्ट्रॉनिक अधिसूचना प्रणाली के माध्यम से उसे आपको इसकी सूचना अवश्य देनी होगी।
   - नियोक्ता के साथ यदि आपने दो वर्ष या उससे कम समय तक काम किया हो, तो नोटिस अवधि एक माह है।
   - नियोक्ता के साथ यदि आपने दो वर्ष से अधिक समय तक काम किया हो, तो नोटिस अवधि दो माह है।

नोटिस अवधि में आपको और आपके नियोक्ता, दोनों को रोजगार अनुबंध के नियम और शर्तों का पालन करना होगा।

नोटिस अवधि का पालन किए बिना क्या मेरा नियोक्ता मेरा रोजगार अनुबंध समाप्त कर सकता है?

नोटिस अवधि का पालन किए बिना यदि नियोक्ता आपका अनुबंध समाप्त कर देता है, तो नोटिस अवधि के लिए उसे आपको भुगतान करना होगा या नोटिस के शेष भाग के लिए आपके मूल वेतन के बराबर मुआवजा देना होगा।

उदाहरण के लिए: यदि आपका मूल वेतन QAR 1,500 प्रति माह है और आपका नियोक्ता नोटिस अवधि समाप्त होने से दो हफ्ते पहले आपको काम बंद करने को कहता है तो उसे अनुबंध को कानूनी तौर से समाप्त करने के लिए आपको QAR 750 का भुगतान करना होगा।

रोजगार अनुबंध की समाप्ति पर अपने मूल देश जाने के लिए क्या मेरे नियोक्ता को मेरे हवाई टिकट का भुगतान करना होगा?

अनुबंध की समाप्ति से अधिकतम दो सप्ताह के भीतर आपके नियोक्ता को प्रत्यावर्तन प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी, जिसमें आपके मूल देश के हवाई टिकट की लागत वहन करना भी शामिल है। देश छोड़ने से पहले यदि आप किसी अन्य नियोक्ता के साथ काम करने लगते/लगती हैं तो प्रत्यावर्तन संबंधी दायित्व नए नियोक्ता का होगा।

यदि आप नोटिस अवधि पूरी करते हुए अनुबंध समाप्त कर क़तर छोड़ने की योजना बनाते/बनाती हैं (श्रम कानून के संशोधित अनुच्छेद 51 के दायरे से बाहर), तो अनुबंध की पूर्ण अवधि में से आपके द्वारा पूरी की गई अवधि के अनुपात में आपका नियोक्ता आपके हवाई टिकट का एक हिस्सा ही चुकाएगा। उदाहरण के लिए: यदि आप अपना दो वर्ष का रोजगार अनुबंध एक वर्ष काम करने के बाद समाप्त करते हैं, तो नियोक्ता वापसी हवाई टिकट की कुल लागत का आधा हिस्सा वहन करेगा।

विशेष कानूनों के अंतर्गत आने वाले कामगारों के लिए

घरेलू कामगारों के लिए नौकरी समाप्त करने और बदलने के क्या नियम हैं?

घरेलू कामगारों के लिए नौकरी समाप्त करने और बदलने के नियम निजी क्षेत्र के कामगारों के समान हैं, जो 2004 के श्रम कानून संख्या 14 के अंतर्गत आते हैं। इन नियमों के अनुरूप घरेलू कामगारों के लिए अद्यतन मानक रोजगार अनुबंध अपनाया गया है। हालांकि, याद रहे कि घरेलू कामगारों की परिवीक्षा अवधि तीन माह से अधिक नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त, उसी नियोक्ता के साथ घरेलू कामगार की परिवीक्षा अवधि सिर्फ एक हो सकती है।
यदि घरेलू कामगार रोजगार अनुबंध में निर्धारित दायित्वों या घरेलू कामगारों पर 2017 के कानून संख्या 15 के अनुच्छेद 11 और 16 में वर्णित दायित्वों का पालन न करे तो उसका नियोक्ता बिना किसी सूचना के एकतरफा रोजगार अनुबंध समाप्त कर सकता है और उसे बर्खास्तगी के वर्ष के लिए सेवा समाप्ति ग्रेच्युटी का भुगतान करने की जरूरत नहीं है।

इसके अतिरिक्त, घरेलू कामगारों पर 2017 के कानून संख्या 15 के अनुच्छेद 17 द्वारा निर्दिष्ट स्थितियों में, घरेलू कामगार सूचना दिए बिना किसी भी समय अपना रोजगार अनुबंध एकतरफा समाप्त कर सकते हैं और उन्हें समाप्ति पर सेवा ग्रेच्युटी, यथानुपातिक वार्षिक बकाया अवकाश और अपने मूल देश लौटने के हवाई टिकट का खर्च, सभी प्राप्त करने का अधिकार है।

कृषि और चरागाह कामगारों और मछुआरों के नौकरी समाप्त करने और बदलने के क्या नियम हैं?

कृषि और चरागाह कामगारों तथा मछुआरों के लिए नौकरी समाप्त करने और बदलने के भी वही नियम हैं जो 2004 के श्रम कानून संख्या 14 के अतंर्गत आने वाले निजी क्षेत्र के श्रमिकों के हैं।

यदि आपको इस संबंध में अधिक जानकारी चाहिए तो कृषि और चरागाह कामगारों के लिए 2004 के श्रम कानून संख्या 14 के कुछ प्रावधानों के कार्यान्वयन पर मंत्रिपरिषद का 2012 का संकल्प संख्या 17 देखें।

यदि मेरा वर्तमान नियोक्ता मुझे किसी अन्य नियोक्ता के पास जाने से रोके या यदि मुझे अधिकार जानकारी चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए?

यदि आपको लगता हो कि आपका वर्तमान नियोक्ता नौकरी बदलने से आपको गलत ढंग से रोक रहा है या यदि आपको अधिक जानकारी की जरूरत हो, तो श्रम मंत्रालय के श्रम संबंध विभाग से हॉटलाइन (40288101) पर, ईमेल (info@mol.gov.qa) पर संपर्क करें, या हमारे कार्यालयों में आएं। शिकायत दर्ज करने के लिए यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर कंप्लेंट एंड व्हिसलब्लोअर के उपयोग से आप मंत्रालय में भी शिकायत कर सकते/सकती हैं।